पालन प्रतिवेदन

दिनांक – 09.09.2020

प्रति,

वन मण्डलाअधिकारी

सामान्य वन मण्डल नीमच म.प्र.

विषयः– नीमच जिले में Jio Digital fiber Pvt. Ltd. द्वारा Ghandhi Sagar Heydel-Rampura Route में ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु 0.5925 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत्। (प्रकरण क्रं. FP/MP/OFC/45643/2020)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2020/3334, नीमच दिनांक – 26.08.2020।

विषयांकित प्रकरण में आपके द्वारा पत्र क्रमांक/मा.चि./2020/3334, नीमच दिनांक – 26.08.2020 द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी। जिसका पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैं :–

शर्त	पालन प्रतिवेदन
1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	पालन किया जायेगा।
2. वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत ही दी जायेगी। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग के सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से हैं।	पालन किया जायेगा।
3. योजना में किसी भी वृक्ष को नहीं काटा जायेगा।	पालन किया जायेगा।
4. वन भूमि पर भूमिगत ऑप्टीकल फाईबर केवल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खेती का आकार 1.50 मीटर गहरा तथा 0.50 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होगा।	पालन किया जायेगा।
5. जहां पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना हो वहां आवेदक/आवेदक संस्थान से स्वीकृत योजना अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि पेशगी में जमा करवाई जावेगी। यह राशि योजना अवधी के आगामी वर्षों के देय में संभावित वृद्धि को ध्यान में रख कर जमा कराई जावेगी।	पालन किया जायेगा।
6. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।	पालन किया जायेगा।
7. रखरखाव की अनुमति वनमंडलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।	पालन किया जायेगा।
8. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से तत्परता से किया जाएगा।	पालन किया जायेगा।

9. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/ पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा।	पालन किया जायेगा।
10. खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षो की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।	पालन किया जायेगा।
11. खन्ती खोदते समय या कार्य के दौरान वन्यप्राणियों को किसी भी प्रकार की कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	पालन किया जायेगा।
12. आवेदित क्षेत्र भू–क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील होने पर आवेदक संस्थान द्वारा भू–क्षरण की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	पालन किया जायेगा।
13. म प्र शासन वन विभाग के आदेश क्र./एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12 सितंबर 2008 अनुसार अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु नेट प्रजेन्ट वैल्यू से पूर्ण छूट सशर्त प्रदान की गई हैं। प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/विविध/2020/2010–11/2218 दिनांक 13.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार आवेदक संस्थान द्वारा राशि रूपये 100/– कैम्पा खाते के अन्य मद में ऑनलाईन जमा की जावेगी। साथ ही भविष्य में शासन द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू के संबंध में नये दिशा निर्देश प्राप्त होने पर भुगतान योग्य राशि Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. M.P. Nagar Bhopal के द्वारा देय होगी।	कैम्पा खाते मेंः– 150767145643583 Reference No.- IMPSS025317332032 द्वाराः– 100 Rs. की राशि दिनांक 09-07-2020 को जमा कर दी गई हैं।
14. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती हैं, तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।	पालन किया जायेगा।
15. आवेदक/आवेदक संस्थान से लिखित में वचन पत्र लिया जावेगा कि यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. क्षेत्रीय वनसंरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्ते उन्हें मान्य होगी।	पालन किया जायेगा।
16. आवेदक/आवेदक संस्थान से जिन प्रकरणों में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि एव नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि ली जाना हैं, उसे अग्रिम में जमा कराने के उपरांत ही औपचारिक अनमति कार्य करने हेत प्रदान की जाएगी। इस औपचारिक अनुमति के जारी होने के पर्व कार्य नहीं करने लगा जाएगा।	पालन किया जायेगा।

17. भूमिगत ऑप्टीकल फाईबर केबल के प्रकरण में राजस्व वन या छोटे बडे डाट का नाम जैसा की सिविल याचिका क्र. 202/95 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय के पालन में परिभाषित हैं, के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदकध्आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।	पालन किया जायेगा।
18. कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जावेगा।	पालन किया जायेगा।
19. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जाएगी तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।	पालन किया जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्तो का पालन किया जावेगा एवं भविष्य में भारत सरकार राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. क्षेत्रीय वनसंरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्ते हमें मान्य हैं।

उपरोक्त शर्त का पालन प्रतिवेदन अपलोड कर दिया गया हैं।

Digital Fibre Pvt. Ltd. INDORE

प्रार्थी

साकेत विश्वकर्मा

जियो डिजिटल फाइबर प्रा.लि. नीमच